<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

जमानत आवेदन संख्या–247/2026
(सुपौल थाना कांड सं0–200/2026)

	पप्पू कामत, पे0 लाल कामत, सा0 महेशपुर, थाना व जिला सुपौल.........अभियुक्त/आवेदक बनाम् बिहार सरकार...विपक्षी	
<u>29/04/26</u>	प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त आवेदक **पप्पू कामत** की ओर से दाखिल किया गया है जो सुपौल थाना कांड संख्या–200/2026, धारा–126(2), 115(2), 352, 351(2), 118(1), 109(1), 303(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दिनांक 25/03/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पाण्डेय को सुना। अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवदेक बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व लगाये गये आरोप बिल्कुल गलत एवं मनगंढत है तथा स्थानीय राजनीति, दुश्मनी एवं भूमि विवाद के कारण वर्तमान मुकदमा में झूठा फॅसाया गया है। धारा–118(1), 109(1), 303(2) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएॅ जमानतीय है। सुपौल थाना कांड सं0–213/2026 प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा है। अभियुक्त आवदेक दिनांक 25/03/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवदेक स्वच्छ जमानतदार देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त आवदेक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदक विजय कामत के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित सुपौल थाना कांड संख्या–200/2026, धारा– 126(2), 115(2), 352, 351(2), 118(1), 109(1), 303(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त है। सूचक ने अपने टंकित आवेदन में अभिकथन किया है, कि दिनांक 17.03.2026 दिन मंगलवार समय करीब 8:00 बजे सुबह में वे अपने दरवाजे पर था कि गौरी शंकर कामत, शत्रुघन कामत, शिवनन्दन कामत, अनीता देवी, रंजू देवी, पप्पू कामत, चंदन कामत, महेन्द्र कामत, लाल कामत, विवेक कामत, राजकुमार कामत लाठी, फरसा, लोहे की रड, भाला एवं अन्य जानलेवा हथियार से लैश होकर उसके दरवाजे पर आकर उसे गाली गलौज देने लगा, जिसे वे तथा उसके भाई संतोष कामत, रामविलास कामत, पडोसी शिवराम कामत, चाचा नारायण कामत के द्वारा मना करने पर गोरी कामत अपने हाथ में लिये फरसा से संतोष कामत को जान मारने की नियत से सर पर मारा, जिसे संतषेय कामत के ऑख के उपर माथा पर गहरा चोट लगा, जिसे वह बेहोश होकर गिर गया तथा पप्पू कामत अपने हाथ में लोहे की रड से संतोष कामत को पूरे शरीर पर मारा, अनीता देवी एवं रंजू देवी लाठी से नारायण कामत को बुरी तरह मारा, शिवनन्दन कामत भाला से नारायण कामत के पैर पर मारा और खून निकलने लगा तथा उसी क्रम में खुशबू देवी बीच बचाव किया तो उसे चन्दन कामत एवं विवेक कामत बुरी नियत से खुशबू देवी के पहने हुये कपड़ा खींच	लगातार...

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या–247 / 2026

(सुपौल थाना कांड सं0–200 / 2026)

लगातार... **29 / 04 / 26**	लिया और गला से सोने का चेन कीमत 1,50,000 / – ले लिया, शिवराम कामत को शत्रुघन कामत ने लाठी से मारा, रामविलास कामत को राजकुमार कामत एवं महेन्द्र कामत ने लाठी से मारा, आस पास के लोग आये और बीच बचाव किये। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवदेक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उसके विरूद्व संतोष कामत को रड़ से मारने का आरोप है। वाद दैनिकी के कंडिका 9, 10, 11, 12 में जख्मियों का बयान है तथा कंडिका 31, 32, 33, 35, 36 में स्वतंत्र साक्षियों का बयान है, जिन्होंने अपने अपने बयान में बताया है कि दोनो पक्षों के बीच जमीन को लेकर झडप हुई थी, जिसमें दोनो पक्षों को चोट आई थी। कंडिका 41 में जख्मी शिवराम कामत एवं जख्मी रामविलास कामत का जख्म रिपोर्ट है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा कोई भी जख्म नहीं पाया गया। जबकि चिकित्सक ने जख्मी संतोष कामत का जख्म गंभीर प्रकृति का पाया है। कंडिका 42 में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जो उनके विरूद्व पूर्व से कोई 01 आपराधिक इतिहास का उल्लेखित किया गया है। अभियुक्त अभियुक्त आवेदक दिनांक 25 / 03 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं काराअवधि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त आवदेक को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदक **पप्पू कामत** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है। अभियुक्त आवेदक को निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 15,000 / – रूपये के एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत दिया जाता है कि एक जमानतदार परिवार के सदस्य या नजदीकी रिस्तेदार होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	